फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

ऊंकारलाल पिता भगवानलाल जाट निवासी मलूकदास की खेडी तहसील डूंगला

बनाम

मथुरादास पिता चतरलाल बैरागी निवासी मलूकदास की खेडी, तहसील डूंगला

प्रकरण संख्या 28/2013 (रा.प्रा.पत्र)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। मृत्तक विपक्षी के वारिस की तामील शेष है। अधिवक्ता प्रार्थी ने मृत्तक विपक्षी के वारिसान की सूचना प्राप्त होने की दिनांक 30.10.2019 से आदिनांक तक एक बार भी तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। न्यायालय स्तर से तामील हेतु सूचना पत्र जारी करने पर वारिस का नोटिस सही पते के अभाव में अदम तामील प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी को मृत्तक विपक्षी के वारिस गोपालदास की तामील राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से कराने हेतु दिनांक 13.06.2024 को आदेश दिए एवं समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु नोटिस का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराने पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक उक्त नोटिस का प्रारूप, प्रकाशन कराने हेतु प्राप्त नहीं किया है तथा उनके पक्षकार को पत्र लिखने का हवाला देते हुए नोटिस प्रकाशन की पक्षकार द्वारा अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने का निवेदन किया। चूंकि प्रकरण लगभग 11 वर्ष पुराना होकर अब तक तामील की स्टेज पर लम्बित है तथा कई बार अवसर देने पर भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मृत्तक विपक्षी के वारिस की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया तथा न्यायालय द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से तामील कराने हेतु निर्देशित करने पर भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक नोटिस का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में नहीं कराया है तथा पक्षकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने का हवाला देते हुए नोटिस का प्रारूप भी प्राप्त नहीं किया है जो कि न्यायालय आदेश की अवहेलना है तथा अधिवक्ता प्रार्थी अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण मृत्तक पक्षकार के वारिस की तामील के अभाव में तथा नोटिस प्रोसेस पेश नहीं करने एवं न्यायालय आदेश के बाद भी तामील हेतु नोटिस का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में नहीं कराने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय की आवंटन पत्रावली मय आदेश की प्रति के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	